

परिशिष्ट (देखिये नियम 6)

सब सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग - 1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

1- परियोजना विवरण :-

(1) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण

मा0मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्दीनाथ में पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग

(2) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों

मानचित्र संलग्न है।

(3) परियोजना की लागत

रु0 126.00 लाख

(4) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य

उक्त मोटर मार्ग निर्माण से पर्वतीय दूरस्थ यूणा, लांजी, पोखरी, द्वींग को आवागमन की सुविधा एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। विस्तृत विवरण संलग्न है।

(5) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)

(6) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है

स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्य विवरण

3.97 हे0 वन भूमि उक्त निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करना।

3- परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है -

(1) परिवारों की संख्या

लागू नहीं है।

(2) अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारों की संख्या

(3) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

4- क्या पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है - (हां/नहीं)

नहीं (मार्ग कच्चा है)

5- प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-2 राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय)

संलग्न है।

6- निर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा -

विषय सूची के अनुसार।

दिनांक 4/4/16

स्थान - नोपेश्वर

(आदर्श गोपाल सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

प्रा.खं. लो.नि.वि.,

गोपेश्वर